भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5476
03 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत स्वयं-सहायता समूह

†5476. श्री डग्गुमल्ला प्रसादा राव:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के अंतर्गत आज की तारीख तक राज्यवार विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के लिए कुल कितने स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) बनाए गए हैं और कितने ऋण संवितरित किए गए हैं;

(ख) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त और नियोजित किए गए अभ्यर्थियों की वर्षवार और जिलावार कुल संख्या कितनी है;

(ग) लाभार्थियों द्वारा विकसित किए गए कौशल के प्रकारों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के अंतर्गत आज की तारीख तक आबंटित और जारी की गई केन्द्र और राज्य के हिस्से का विशेषकर आन्ध्र प्रदेश सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार को उक्त योजना का विस्तार करने के लिए कोई प्रस्ताव या योजना प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके विस्तार की समय-सीमा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क): दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) के अंतर्गत 01.04.2014 से 30.09.2024 तक गठित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और संवितरित ऋणों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का विवरण अनुलग्नक-I पर है।

(ख): पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष [अर्थात 2019-20 से 2024-25 (30.09.2024 तक)] के

दौरान डीएवाई-एनयूएलएम के तहत कौशल प्रशिक्षित और रोजगार प्राप्त उम्मीदवारों की वर्ष-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक-II पर है।

(ग): इस मिशन के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट (ईएसटीएंडपी) घटक के माध्यम से रोजगार का उद्देश्य परिधान, सौंदर्य संस्कृति और हेयर ड्रेसिंग, निर्माण कार्य, विद्युत, फैशन डिजाइन, खाद्य प्रसंस्करण, आतिथ्य, आईटी और आईटीईएस , चिकित्सा और नर्सिंग आदि सहित विभिन्न बाजार उन्मुख पाठ्यक्रमों में शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।

(घ): डीएवाई-एनयूएलएम के तहत पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्यों और जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए केंद्र और राज्यों के बीच 90:10 के अनुपात में, अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% और शेष राज्यों के लिए 60:40 वित्तपोषण साझा किया गया है। डीएवाई-एनयूएलएम के तहत 01.04.2014 से 30.09.2024 तक आंध्र प्रदेश सहित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी केंद्रीय निधियों को दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

(ड.): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने डीएवाई-एनयूएलएम को 30.09.2024 तक क्रियान्वित किया है । इसके अलावा, 1 अक्टूबर, 2024 से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 25 चयनित शहरों में शहरी गरीबी उपशमन पर 3 महीने की शुरुआती अवधि के लिए एक पायलट शुरू किया, जिसे बाद में 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया गया।

****

अनुलग्नक- I

"1.04.2014 से 30.09.2024 तक डीएवाई-एनयूएलएम के तहत गठित एसएचजी और संवितरित ऋणों की राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या, डीएवाई-एनयूएलएम के तहत एसएचजी" के संबंध में 03.04.2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5476 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गठित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या	व्यक्तिगत/समूह सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	एसएचजी-बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत एसएचजी को संवितरित ऋणों की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	124	7	1
2	आंध्र प्रदेश	108178	107097	120451
3	अरुणाचल प्रदेश	714	76	17
4	असम	24660	6520	8197
5	बिहार	37365	13769	15993
6	चंडीगढ़	689	410	0
7	छत्तीसगढ	36580	49323	15086
8	गोवा	1406	264	23
9	गुजरात	41182	30324	17878
10	हरियाणा	9502	8008	1254
11	हिमाचल प्रदेश	4948	4022	1748
12	जम्मू और कश्मीर	4405	16383	275
13	झारखंड	24288	12767	7651
14	कर्नाटक	45410	26592	10361
15	केरल	27250	14492	22836
16	लद्दाख	58	22	0
17	मध्य प्रदेश	65459	92624	25909
18	महाराष्ट्र	117896	62485	82833
19	मणिपुर	3535	136	123
20	मेघालय	510	137	4
21	मिजोरम	1388	2471	278
22	नगालैंड	809	382	0
23	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1332	1213	6
24	ओडिशा	43528	45950	22319
25	पुदुचेरी	1103	612	658
26	पंजाब	11431	12149	270
27	राजस्थान	34644	32943	4873
28	सिक्किम	129	35	0

29	तमिलनाडु	145718	309247	170473
30	तेलंगाना	53611	15623	43420
31	त्रिपुरा	5497	2034	5314
32	उत्तर प्रदेश	74418	90188	16731
33	उत्तराखंड	4511	9173	851
34	पश्चिम बंगाल	70267	14421	46374
कुल		**1002545**	**981899**	**642207**

अनुलग्नक- II

पिछले पांच वर्षो तथा वर्तमान वर्ष (अर्थात् 2019-20 से 2024-25(30.09.2024 तक)] के दौरान डीएवाई-एनयूएलएम के तहत कौशल प्रशिक्षित और रोजगार प्राप्त उम्मीदवारों की वर्षवार संख्या, "डीएवाई-एनयूएलएम के तहत स्वयं सहायता समूह" के संबंध में 03.04.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5476 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	कौशल प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या	रोजगार प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या
1	2019-20	130336	83737
2	2020-21	56001	44135
3	2021-22	122722	63519
4	2022-233	234805	120478
5	2023-24	127247	54717
6	2024-25 (30.09.2024 तक)	15070	5082
कुल		686181	371668

अनुलग्नक- III

01.04.2014 से 30.09.2024 तक डीएवाई-एनयूएलएम के तहत जारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्रीय निधियां, "डीएवाई-एनयूएलएम के तहत एसएचजी" के संबंध में 03.04.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5476 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

(करोड़ रु. में)

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल जारी
1	आंध्र प्रदेश	40.34	15.00	56.30	36.31	30.20	98.45	58.23	60.50	37.63	0.00	0.00	**432.96**
2	अरुणाचल प्रदेश	1.94	1.46	1.43	6.22	3.66	6.59	9.36	0.00	0.00	7.47	0.00	**38.13**
3	असम	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	14.86	21.92	32.91	20.16	16.62	0.00	**119.47**
4	बिहार	0.00	25.73	22.38	0.00	42.52	31.08	30.90	0.00	0.00	10.00	0.00	**162.61**
5	छतीसगढ़	14.88	17.79	13.46	34.56	21.15	17.02	0.00	14.71	0.00	15.00	0.00	**148.57**
6	गोवा	0.62	0.00	0.23	2.08	4.85	3.40	3.90	3.40	0.00	0.00	0.00	**18.48**
7	गुजरात	63.54	0.00	0.00	0.00	30.94	14.08	71.58	49.67	32.66	40.79	6.25	**309.51**
8	हरियाणा	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	29.63	10.54	14.22	12.82	0.00	0.00	**83.29**
9	हिमाचल प्रदेश	6.04	2.50	3.56	8.05	1.69	6.81	10.21	10.20	6.00	0.00	1.00	**56.06**
10	जम्मू और कश्मीर	9.99	0.00	0.00	1.89	3.23	11.56	3.67	6.25	13.46	0.00	0.00	**50.05**
11	झारखंड	10.13	14.61	15.36	44.89	11.24	16.28	16.28	18.37	0.00	12.00	0.00	**159.16**
12	कर्नाटक	63.47	9.90	0.00	23.08	0.00	16.46	32.07	0.00	0.00	26.25	0.00	**171.23**
13	केरल	0.00	0.00	0.00	25.19	18.60	24.09	27.90	35.38	29.23	15.00	5.00	**180.39**
14	मध्य प्रदेश	51.58	5.00	28.80	41.75	21.60	48.80	55.09	63.36	100.00	10.00	0.00	**425.98**
15	महाराष्ट्र	128.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.15	64.37	62.33	90.09	0.00	**441.48**
16	मणिपुर	8.37	3.11	0.00	0.00	0.00	3.65	2.98	10.08	25.00	5.35	0.00	**58.54**
17	मेघालय	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79	0.00	1.29	2.80	0.00	**12.08**
18	मिजोरम	8.52	10.32	20.93	12.73	6.82	5.82	16.17	14.98	10.00	3.99	0.00	**110.28**
19	नागालैंड	5.32	0.00	8.45	10.87	3.43	4.06	6.96	4.92	1.83	7.38	0.00	**53.22**
20	ओडिशा	18.08	13.22	6.56	17.05	16.24	14.32	20.07	13.43	0.00	8.44	0.00	**127.41**
21	पंजाब	0.00	0.00	0.00	10.07	0.00	16.17	0.00	19.36	68.49	0.00	0.00	**114.09**
22	राजस्थान	42.01	0.00	7.92	28.51	31.10	38.11	39.31	40.53	0.00	15.00	0.00	**242.49**
23	सिक्किम	1.52	0.85	0.97	2.31	1.12	2.44	1.10	0.00	0.00	1.00	0.00	**11.31**
24	तमिलनाडु	64.40	57.86	58.45	78.85	68.53	81.36	110.65	104.67	6.00	85.00	0.00	**715.77**
25	तेलंगाना	0.00	39.88	4.70	32.49	15.56	42.13	38.10	31.69	100.00	25.00	0.00	**329.55**
26	त्रिपुरा	9.46	0.00	0.00	8.93	6.33	7.88	13.48	14.17	2.00	10.86	0.00	**73.11**
27	उत्तर प्रदेश	46.55	17.42	22.66	71.95	53.38	98.56	65.34	62.65	0.00	33.98	8.75	**481.24**
28	उत्तराखंड	0.00	5.08	5.38	8.00	7.75	7.32	6.05	2.00	8.60	0.00	2.50	**52.68**
29	पश्चिम बंगाल	53.73	0.00	8.31	32.96	35.94	25.79	34.30	43.39	0.00	45.42	5.00	**284.84**

30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.34	0.00	**1.68**
31	चंडीगढ़	2.82	0.00	0.93	1.99	1.82	3.08	1.82	1.86	2.54	3.55	0.50	**20.91**
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.17**
33	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
34	पुदुचेरी	0.00	0.00	2.79	2.97	1.97	2.97	4.20	0.00	0.00	5.11	0.00	**20.01**
35	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	**2.10**
कुल		**672.13**	**239.73**	**290.63**	**556.70**	**439.84**	**692.77**	**812.12**	**739.47**	**540.04**	**496.44**	**29.00**	**5508.87**